<u>पत्र सूचना शाखा</u>
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय/राज्यीय दलों को 40 तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति

प्रत्याशी स्टार प्रचारक के वाहन में सफर करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा व्यय प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा

लखनऊ : दिनांक :– 23 जनवरी, 2012

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2012 में राजनैतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों के प्रचार संबंधी होने वाले व्यय के बारे में कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट किया है। ज्ञातव्य है कि आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दलों को 40 स्टार प्रचारक तथा पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव प्रचार कार्य हेतु 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति दे रखी है।

यह जानकारी आज यहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में यदि किसी पार्टी के प्रचार अभियान के तहत किसी नेता के फोटो सहित अपील, बिना किसी प्रत्याशी के बारे में कोई सन्दर्भ दिये प्रचारित प्रसारित की जाती है तो ऐसे सामान्य विज्ञापनों पर किया गया व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल के खाते में जायेगा।

श्रीमती मेश्राम ने यह भी बताया कि इसी प्रकार यदि नेता की फोटो सहित पोस्टर, बैनर, स्टीकर या अपील में किसी प्रत्याशी का सन्दर्भ नहीं है तो सभी व्यय राजनैतिक दल के खाते में जोड़े जायेंगे। यदि किसी राजनैतिक दल का नेता किसी विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी है तो पार्टी द्वारा किये गये व्यय का शेष आनुपातिक अंश प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने स्टार प्रचारकों की यात्रा के दौरान कोई सहायक जैसे– सुरक्षा गार्ड, मेडिकल अटेन्डेन्ट या कोई अन्य व्यक्ति जिसमें पार्टी के ऐसे सदस्य जो सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी न हो, यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करते हैं तो स्टार प्रचारक के वाहन, एयर क्राफ्ट, हेलीकाप्टर आदि पर होने वाले यात्रा व्यय को पूरी तरह से राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि साथ चल रहे व्यक्तियों की चुनाव प्रचार में कोई भूमिका नहीं है तो कोई व्यय प्रत्याशी के खाते में नहीं जोड़ा जायेगा। परन्तु प्रत्याशी स्टार प्रचारक के द्वारा उपयोग किये जा रहे ट्रान्सपोर्ट में सफर करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा प्रत्याशियों/प्रत्याशी के व्यय के खाते में जोड़ा जाएगा।

....